

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2009-10 निगरानी - 1515-III/09

विष्णु सिंघल पुत्र श्री शंभुदयाल सिंघल

निवासी मोहल्ला पापूजी, श्योपुर (म.प्र.)

----निगरानीकर्ता

श्री मंजरासिंह अदरिया एडवोकेट
शाखा काब दि. 7-11-09 को प्रस्तुत।
नवप्रबन्ध
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर

जिला श्योपुर (म.प्र.)

---अनावेदक

- 2- अहसान पुत्र इमामद्दीन मुसलमान जेल के पीछे, बगवाज, श्योपुर
- 3- केदार पुत्र गुलाब चन्द्र हरदेनिया, निवासी मेन मार्केट हरदेनिया एजेन्सी, श्योपुर
- 4- अशोक कुमार पुत्र निधिचन्द्र राठौर क्लर्क जिला कोषालय श्योपुर
- 5- जगदीश पुत्र रामप्रसाद राठौर नगर पालिका के पास, श्योपुर

---तरतीबी अनावेदकगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30/07/09 द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना (म.प्र.) पीठासीन अधिकारी श्री अशोक शिवहरे के प्रकरण क्रमांक 18/08-09 द्वारा कलेक्टर श्योपुर प्रकरण क्रमांक 17ए/06-07/स्व. निगरानी राजस्व में पारित आदेश दिनांक 03/11/08 को यथावत् रखते हुये

7-11-09

प्राप्त
7-11-09
कल्याणराव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	<p>आदेशिका श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२ श्री ०२५ ०२२</p>	

[Handwritten signature]